राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः– 967/241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 22/12/2016

मा0 उच्चतम न्यायालय/शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0
3. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
   शहर मिशन प्रबंधन इकाई/ जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
4. समस्त अधिशासी अधिकारी
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

विषयः–**मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या– 55/2003 सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0– 2866/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 18.11.2014, 3619/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 30.12.14, 2866/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 18.11.2014, 3814/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 09.01.2015, 3917/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 13.01.15, 4344/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 03.02.15, 2993/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 16.10.2015, 3071/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 04.11.2015, तथा 014/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 10.12.2015, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक 'शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजनान्तर्गत' उल्लिखित सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता वर्तमान में संचालित सभी (स्थायी/अस्थायी) प्रकार के शेल्टर होम में सुनिश्चित किया जाना है। उक्त सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता में यदि कहीं कोई भी कमी हो तो उसका सुधार करने की कार्यवाही तत्काल की जाय तथा अद्यतन आख्या तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

उल्लेखनीय है कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08 दिसम्बर 2016 द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों की आश्रय देने के अधिकार के संबंध में, 2003 की रिट याचिका (सिविल) सं0– 55 और 2003 की रिट याचिका (सिविल) सं0– 572 में माननीय उच्चतम न्यायालय की दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है:–

1. माननीय न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर,
   भूतपूर्व न्यायधीश दिल्ली उच्च न्यायालय – अध्यक्ष
2. श्री नीरज कुमार गुप्ता
   सेवा निवृत्त अधिकारी, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा – सदस्य सचिव
3. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव
   आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय – सदस्य
   भारत सरकार द्वारा यथा प्रतिनियुक्ति

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के आदेशानुसार, समिति का कार्यक्षेत्र निम्नवत होगा–

(i) समिति प्रत्येक शहर/संघ राज्य क्षेत्र में शहरी बेघरों के लिए उपलब्ध आश्रयों का भौतिक सत्यापन करेगी।

(ii) यह भी सत्यापन करेगी कि क्या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्कीम हेतु प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

(iii) समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आश्रय गृहों की स्थापना करने में धीमी प्रगति के कारणों की जांच करेगी।

(iv) समिति इसके अलावा, शहरी बेघरों को आश्रय मुहैया कराने के लिए स्कीम हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं करने और/अथवा विवर्जन/दुरूपयोग के बारे में जांच करेगी।

(V) समिति यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को समुचित सिफारिशे करेंगी कि शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए सर्द ऋतु के दौरान उनकी रक्षा करने हेतु कम से कम अस्थायी आवास मुहैया कराए जाएं। राज्य सरकारें समिति द्वारा उल्लिखित समय सीमा सहित सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। कोई कार्यान्वयन न होने संबंधी मामले को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया जायेगा।

समिति 4 महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अतिरिक्त अन्य निधि की सहायता से कार्यशील आश्रयों का शहरवार विवरण उपलब्ध कराने विषयक अनुसचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 N11028/8/2014–USD-FTS11611 द्वारा उक्तानुसार गठित समिति के उपयोगार्थ दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत और कार्यशील आश्रयों की वर्तमान स्थिति तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से इतर अन्य निधि की सहायता से शहरों में कार्यशील सभी आश्रयों की आख्या निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है–

क्र0सं0	नगर का नाम	आश्रय का नाम और अवस्थिति	आश्रय की क्षमता

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही की आख्या तथा अपेक्षित विवरण प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 26.12.2016 तक ई–मेल nulmup@gmail.com पर अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सके।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, नगर विकास, विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उल्लिखित पत्र नगरीय निकायों को अपने स्तर से प्रेषित करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन त्वरित गति से सभी नगरीय निकायों में सुनिश्चित कराते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी उ0प्र0।
5. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक